

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)331/पार्ट.2/estt/ins./-00099 पार्ट फाइल (2) 7029553/10130-10190 दिनांक:- 20-02-2025

परिपत्र

16 वीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) की कार्यवाही चल रही है। अतः विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र के दौरान बिना अवकाश स्वीकृत करायें अवकाश पर नहीं जायें एवं मुख्यालय नहीं छोडे।

यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये कार्यालय छोड़ते है तो उनके विरुद्ध निर्देशो की अवहेलना की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

10130-10190

क्रमांक : एफ.1(ए)331/पार्ट.2/estt/ins./-00099 पार्ट फाइल (2) 7029553/ दिनांक:- 20-02-2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/परियोजना/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/आरजीएचएस/एमएडीबीबाई, जिला कार्यालय राजस्थान, को पालनार्थ।
2. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, राजस्थान, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/परियोजना/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/आरजीएचएस/ एमएडीबीबाई/जिला कार्यालय को पालनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

(रौनक बैरागी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid



Digitally signed by Raimaque
Bairagi
Designation : Additional Director
Date: 2025.02.20 11:29:50 IST
Reason: Approved